प्रेस नोट दिनांक 11.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता, आलोक तिवारी, संगीता देवी को क्षेत्रान्तर्गत केपी पब्लिक स्कुल बसिरहा गीतानगर के पास से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 10.06.2026 को थाना फतनपुर पर वादिनी निवासी ग्राम विच्छूर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 07.06.2026 को पूर्व रंजिश को लेकर नामजद व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा वर्तमान में जनपद प्रयागराज में उपचाराधीन है। वादिनी द्वारा आरोपित व्यक्तियों एवं उनके सहयोगियों पर लगातार निगरानी करने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 145/2026 धारा 109(1)/110/191(1)/191(2)/115(2)/ 352/351(3) B.N.S बनाम 04 नामजद व 01 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 सुनील गुप्ता मय हमराह का0 सुजीत यादव व रि0का0 सुरज कुमार व म0आ0 ज्योति कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 145/2026 धारा 109(1)/110/191(1)/191(2)/115(2)/ 352/351(3) B.N.S से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. संगीता देवी पत्नी परविन्दर तिवारी उम्र करीब 40 वर्ष, 02. आलोक तिवारी पुत्र परविन्दर तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष समस्त निवासी ग्राम विच्छुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को घटना मे प्रयुक्त 01 अदद बांस की लाठी व 01 अदद कुल्हाड़ी के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत केपी पब्लिक स्कुल बसिरहा गीतानगर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त/ अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 07.06.2026 को गांव के ही वादिनी के पुत्र को हम लोगो ने मार पीट दिया था, जिससे उसके सिर व पैर मे चोट आ गयी थी और वह अस्पताल में भर्ती है। लोगो से पता चला है कि हम लोगो के खिलाफ थाने पर मुकदमा भी लिखा गया है इसी कारण हम लोग डर से बाहर भागना चाह रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-
01. संगीता देवी पत्नी परविन्दर तिवारी उम्र करीब 40 वर्ष,

02. आलोक तिवारी पुत्र परविन्दर तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष समस्त निवासी ग्राम विच्छुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद बांस की लाठी व 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुनील गुप्ता मय हमराह का0 सुजीत यादव व रि0का0 सुरज कुमार व म0आ0 ज्योति कुमारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार यादव मय रि0का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय एससी/एसटी स्पे0 कोर्ट से निर्गत सम्मन केस नं0 1296/2024 धारा 323,504,506,427 भादवि से सम्बन्धि 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. कल्लू पुत्र स्व0 सीताराम हुलिया सावला उम्र करीब 42 वर्ष नि0 दूबेपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 02. दिलीप पुत्र सुन्दरलाल उम्र करीब 29वर्ष नि० दूबेपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. कल्लू पुत्र स्व0 सीताराम हुलिया सावला उम्र करीब 42 वर्ष नि0 दूबेपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।
02. दिलीप पुत्र सुन्दरलाल उम्र करीब 29वर्ष नि० दूबेपुर शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार यादव मय रि0का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना शिवाजीनगर, मुंबई (महाराष्ट्र) में पंजीकृत दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस आयुक्तालय मुंबई, महाराष्ट्र के थाना शिवाजीनगर गोवंडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2026 धारा 64(2)(m), 69 बीएनएस व 4/6/8/12 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अरमान खान पुत्र अमान उल्ला निवासी ग्राम सुबरनी, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना शिवाजीनगर गोवंडी, मुंबई से पीएसआई बेले मय हमराह हे0का0 शंकर तिटकारे एवं पीसी संदीप मोहोते जनपद प्रतापगढ़ आए थे। उक्त टीम द्वारा थाना मान्धाता पुलिस के हे0का0 विसर्जन राम एवं का0 हरीपाल के सहयोग से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शिवाजीनगर गोवंडी, मुंबई में दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियोग पंजीकृत है। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को नियमानुसार संबंधित पुलिस टीम के सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अरमान खान पुत्र अमान उल्ला निवासी ग्राम सुबरनी, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना शिवाजीनगर गोवंडी, मुंबई (महाराष्ट्र)
पीएसआई बेले
हे0का0 शंकर तिटकारे
पीसी संदीप मोहोते।
हे0का0 विसर्जन राम, का0 हरीपाल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 अलंकार यादव, हे0का0 अखिलेश कुमार, का0 अनी कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रतापगढ केश न0 9748/20 धारा 323/504/506/435 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धि वारण्टी 01 अभियुक्त रामसुमेर उर्फसुमेरे पुत्र रोहंगा उर्फ बृजलाल निवासी ग्राम अकारीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 42 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामसुमेर उर्फसुमेरे पुत्र रोहंगा उर्फ बृजलाल निवासी ग्राम अकारीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 42 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 अलंकार यादव, हे0का0 अखिलेश कुमार, का0 अनी कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 अमर सिंह कुशवाहा, का0 दिग्विजय सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 206/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहे के पास से हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाल अपचारी का विवरण-
01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 अमर सिंह कुशवाहा, का0 दिग्विजय सिंह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
।